न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2017/00453

1. श्याम सुन्दर आत्मज रामचन्द्र ।
2. शांतिलाल आत्मज रामचन्द्र जाति मीणा निवासीगण सारोला तहसील दीगोद जिला कोटा ।

----अपीलान्ट

बनाम

1. रामभरोस आत्मज रामचन्द्र ।
2. कांति बाई पुत्री रामचन्द्र ।
3. राममूर्ति पुत्री रामचन्द्र ।
4. सीता बाई पुत्री रामचन्द्र जाति मीणा निवसीगण सारोला तहसील दीगोद जिला कोटा।
5. कालू पुत्र गोपाल
6. धन्नी बाई बेवा रामरतन ।
7. पप्पू पुत्र रामरतन
8. अनिल पुत्र रामरतन
9. सीमा पुत्री रामरतन
10. रेखा पुत्री रामरतन
11. लच्छू पुत्री रामरतन
12. शीला पुत्री रामरतन निवासीगण रामचन्द्रपुरा चौथमाता मंदिर के पास छावनी कोटा ।
13. धन्नी बाई बेवा रामरतन (नाम तर्क) ।
14. महावीर पुत्र रामरतन
15. संजू पुत्री रामरतन निवासीगण बडगॉव कोटा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
16. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, दीगोद जिला कोटा ।

----रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री बलराम शर्मा, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री महेश शर्मा, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट कम 1 लगायत 4 की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 10.03.2021

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दीगोद जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.08.2017 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट क्रम 1 से 4 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम सारोला तहसील दीगोद में वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 1 व 2 के शामलाती खाते में खसरा नम्बर 181 की रकबा 2.02 हैक्टर भूमि दर्ज चली आ रही है । उक्त भूमि वादीगण तथा प्रतिवादी क्रम 1व 2 के शामलाती खाते में दर्ज है जिसमें वादीगण व प्रतिवादी क्रम 01 लगायत 2 का प्रत्येक का 1/7 – 1/7 हिस्सा है । वादीगण अपने 5/7 हिस्से की भूमि के खातेदार काबिज काश्त चले आ रहे हैं । उक्त भूमि वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 व 2 की पुश्तैनी भूमि है । ग्राम सारोला तहसील दीगोद में वादीगण तथा प्रतिवादी क्रम 1 व 2 तथा प्रतिवादी क्रम 03 व प्रतिवादी क्रम 4 व 11 के पति व प्रतिवादी क्रम 5 लगायत 10 व 12 एवं 13 के पिता रामरतन के शामलाती खाते में खसरा नम्बर 256 की 1.74 हैक्टर, खसरा नम्बर 583 की 0.22 हैक्टर, खसरा नम्बर 584 की 0.18 हैक्टर, खसरा नम्बर 713 की 0.75 हैक्टर कुल 04 किता की 2.89 हैक्टर भूमि दर्ज चली आ रही है । उक्त भूमि पूर्व में रामचन्द्र, कालू, रामरतन पिसरान गोपाल जी के शामलाती खाते में दर्ज थी जिसमें रामचन्द्र, कालू, रामरतन जी प्रत्येक का 1/3 – 1/3 हिस्सा है । रामचन्द्र जी की मृत्यु के बाद वादीगण व प्रतिवादीगण क्रम 1 व 2 का नाम 1/3 हिस्से पर दर्ज किया गया तथा 1/3 हिस्से में वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 व 2 का प्रत्येक का 1/7 – 1/7 हिस्सा अर्थात् सम्पूर्ण भूमि में 1/21– 1/21 हिस्सा है । वादीगण अपने 5/21 हिस्से की भूमि के खातेदार काबिज काश्त चले आ रहे है । वादीगण के हिस्से की भूमि को वादीगण की ओर से वादी क्रम 01 काश्त कर रहे हैं । वादग्रस्त आराजी का विधिवत विभाजन करवाया जाना आवश्यक हो गया है ।

3. अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी का पक्षकारान के मध्य विधिवत विभाजन किया जावे और विभाजन में प्राप्त होने वाली भूमि को पृथक–पृथक खाते में दर्ज किया जाकर पृथक लगान कायम किया जावे ।

4. प्रतिवादी क्रम 01 व 02 ने जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर वादीगण का वादपत्र खारिज करने एवं काउन्टर क्लेम स्वीकार करने का कथन किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 18.08.2017 के द्वारा वादीगण का वाद आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए प्रतिवादीगण क्रम 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम खारिज कर विभाजन की प्राथमिक डिक्री पारित कर दी ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.08.2017 से व्यथित होकर प्रतिवादी क्रम 1 व 2 अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 व 2 जाति से मीणा हैं तथा मीणा जाति व समाज में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम लागू नहीं होता है । इस कारण मीणा जाति व समाज में पुरूष वर्ग मौजूद होने पर महिलाओं का भूमि में कोई अधिकार नहीं होता है । रामचन्द्र जी की मृत्यु के बाद वादी क्रम 01 व प्रतिवादी क्रम 1 व 2 पुरूष वारिस के रूप में मौजूद है इस कारण अपीलान्टगण व रेस्पोडेन्ट क्रम 01 के अलाव अन्य किसी का किसी प्रकार का कोई अधिकार उक्त भूमि में प्राप्त नहीं होता है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्टगण का काउन्टर क्लेम खारिज करने में त्रुटि की है । अतः अपील

अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 18.08.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेन्ट कम 1 लगायत 4 व मृतक रूकमणी बेवा रामचन्द्र ने धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का दावा पेश कर कथन किया कि ग्राम सारोला तहसील दीगोद में वादीगण और प्रतिवादी कम 1 व 2 के शामलाती खाते में खसरा नम्बर 181 की 2.02 हैक्टर आराजी दर्ज है जिसमें सभी सहखातेदारों का 1/7 हिस्सा है । ग्राम सारोला में ही खसरा नम्बर 256, 583, 584 एवं 713 की कुल 04 किता की 2.89 हैक्टर भूमि वादीगण और प्रतिवादीगण के शामलाती खाते में चली आ रही है जिसमें वादीगण और प्रतिवादी कम 1व 2 का 1/3 हिस्सा है । वादी कम 05 ने अपने हिस्से की भूमि वादी कम 01 के पक्ष में हक त्याग कर दी है । अतः विभाजन की डिक्री पारित की जावे । अपीलान्टगण ने जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम पेश किया और कथन कया कि पक्षकारान अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं जिसमें महिलाओं को पुरूष उत्तराधिकारी होने की स्थिति में पिता की सम्पत्ति में अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं । तद्नुसार वादीगण कल 2 लगायत 5 का नाम डिलीट कर वादी कम 01 प्रतिवादी कम 1 व 2 के मध्य विभाजन किया गया । अधीनस्थ न्यायालय ने सरसरी तौर पर निर्णय पारित करते हुए वादीगण का दावा स्वीकार कर काउन्टर क्लेम खारिज किया है । पक्षकारान अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं जिनमें विवाहित पुत्रियों को कोई अधिकार पिता की सम्पत्ति में नहीं होते हैं । चूँकि महिलाओ को कोई अधिकार पुरूष उत्तराधिकारी के रहते हुए पति/पिता की सम्पत्ति में नहीं होता है इस कारण उनके द्वारा जो रिलीज डीड निष्पादित की गई है वो अवैध है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.08.2017 निरस्त फरमाया जावे। उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में आरआरडी 2014 पेज 213, आरआरटी 2014 (2) पेज 901, आरआरडी 1989 पेज 284, आरआरटी 2002 (2) पेज 421, आरआरडी 1998 पेज 61, आरबीजे (5) 1998 पेज 456, आरबीजे (9) 2002 पेज 23 उद्वरत की ।

9. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजी पैतृक सम्पत्ति है जिसमें सहखातेदारों का राजस्व रिकॉर्ड में जो हिस्सा दर्ज है उसके मध्य नजर पक्षकारों के द्वारा किये गये हक त्याग को ध्यान में रखते हुए विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री पारित की गई है जो विधि सम्मत है । एआईआर 1996 (एससी) पेज 1864 में अनुसूचित जनजाति में भी महिलाओं के अधिकार पुरूष उत्तराधिकारियों के साथ माने गये हैं । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.08.2017 बहाल रखा जावे । अपने पक्ष के समर्थन में एआईआर 1996 (एससी) पेज 1864, एआईआर 1989 (राज0) पेज 115 उद्वरत की ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण ने एक दावा विभाजन का पेश किया है जिसमें प्रतिवादीगण ने काउन्टर क्लेम पेश किया है । दावे एवं जवाबदाके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने 05 तनकीयात कायम की है जो कि पेज संख्या 34 पर संलग्न है ।

11. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर नकल जमाबन्दी संवत् 2063–66 नया खाता संख्या 154 संलग्न है जिसमें कुल 04 किता की 2.89 हैक्टर आराजी रामचन्द्र, कालू, रामरतन पिता गोपाल सहखातेदार दर्ज हैं और इसमें नामान्तरकरण 453 का नोट अंकित है जिसके अनुसर रामचन्द्र के स्थान पर श्याम सुन्दर, रामभरोस, शान्तिलाल पुत्र कान्तिबाई, राममूर्तिबाई, गीताबाई पुत्रियॉ रूकमणी बाई बेवा रामचन्द्र का नाम दर्ज करने का आदेश हुआ है ।

12. वादी की ओर से दस्तावेजात में नकल जमाबन्दी संवत् 2063–66 नया खाता संख्या 153 पेश की है । नकल जमाबन्दी संवत् 2067–70 नया खाता संख्या 187 प्रदर्श–2 पेश किया है जिसमें नामान्तरकरण संख्या 546 का नोट अंकित है । नकल जमाबन्दी संवत् 2067–70 नया खाता संख्या 188 प्रदर्श–3 पेश किया है जिसमें नामान्तरकरण संख्या 546 का नोट अंकित है। नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रति प्रदर्श– 6 पेश किये हैं ।

13. प्रतिवादी की ओर से दस्तावेजात में नकल नामान्तरकरण संख्या 434 प्रदर्श–डी–1 पेश की है जिसमें रामचन्द्र की मृत्यु हो जाने के उपरान्त श्यामसुन्दर, रामभरोस, शान्तिलाल पुत्र कान्तिबाई, राममूर्ति बाई, गीता बाई पुत्रियॉ रूकमणी बाई बेवा रामचन्द्र का नामान्तरकरण तस्दीक किया गया । नकल जमाबन्दी प्रदर्श–डी–2 के अनुसार नया खाता संख्या 153 में खसरा नम्बर 181 की रकबा 2.02 हैक्टर रामचन्द्र के खाते में दर्ज है और उसमें नामान्तरकरण संख्या 434 का नोट अंकित है । नकल जमाबन्दी प्रदर्श–डी–3 के अनुसार रामचन्द्र, कालू और रामरतन के खाते में ककुल 04 किता की 2.89 हैक्टर आराजी दर्ज है और उसमें नामान्तरकरण संख्या 435 का नोट अंकित है । प्रदर्श–डी–4 नकल जमाबन्दी संवत् 2067–70 जिसके अनुसार श्यामसुन्दर, रामभरोस, शान्तिलाल पुत्र कान्तिबाई, राममूर्ति बाई, गीता बाई पुत्रियॉ रूकमणी बाई बेवा रामचन्द्र हिस्सा 1/3 कालू, रामरतन पिसरान गोपाल हिस्सा 2/3 दर्ज है और नामान्तरकरण संख्या 546 का नोट अंकित है जिसके अनुसार रूकमणी बाई के द्वारा अपने 1/21 हिस्से का हक त्याग रामभरोस में पक्ष में किया गया है । नकल जमाबन्दी संवत् 2067–70 प्रदर्श–डी जिसके अनुसार खसरा नम्बर 181 की रकबा 2.02 हैक्टर आराजी श्यामसुन्दर, रामभरोस, शान्तिलाल पुत्र कान्तिबाई, राममूर्ति बाई, गीता बाई पुत्रियॉ रूकमणी बाई बेवा रामचन्द्र के खाते में दर्ज है और इसमें नामान्तरकरण संख्या 546 का नोट अंकित है जिसके अनुसार रूकमणी ने अपने हक त्याग रामभरोस के पक्ष में किया है ।

14. वादी की ओर से बयान रामभरोस पीडब्ल्यू–1 कराये गये हैं ।

15. प्रतिवादी की ओर से बयान श्यामसुन्दर डीडब्ल्यू–1 कराये गये हैं ।

16. प्रकरण में तनकीवार विवेचन निम्नानुसार है :–

1. **तनकी नं0 01 :– आया वादी ग्राम सारोला तहसील दीगोद की खसरा नम्बर 181 की रकबा 2.02 हैक्टर भूमि में से वादी 5/7 हिस्से का विभाजन करवाने के अधिकारी है एवं प्रतिवादी कम 1, 2 भी उक्त भूमि में से 2/7 हिस्से को अलग करवाने का अधिकारी है :–** इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर है । मुताबिक नकल जमाबन्दी प्रदर्श–2

वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 181 रकबा 2.02 हैक्टर भूमि श्यामसुन्दर, रामभरोस, शान्तिलाल पुत्र कान्तिबाई, राममूर्ति बाई, गीता बाई पुत्रियॉ रूकमणी बाई बेवा रामचन्द्र के खाते दर्ज है और इसमे नामान्तरकरण संख्या 546 का नोट अंकित है जिसके अनुसार रूकमणी बाई ने अपने 1/7 हिस्से का परित्याग रामभरोस के पक्ष में किया है । नकल जमाबन्दी संवत् 2063–66 प्रदर्श–1 के अनुसार यह आराजी रामचन्द्र के खाते में दर्ज है और इसमें नामान्तरकरण संख्या 434 का नोट अंकित है जिसके अनुसार रामचन्द्र की मृत्यु हो जाने पर श्यामसुन्दर, रामभरोस, शान्तिलाल पुत्र कान्तिबाई, राममूर्ति बाई, गीता बाई पुत्रियॉ रूकमणी बाई बेवा रामचन्द्र का नाम दर्ज हुआ है । नामान्तरकरण संख्या 484 की प्रमाणित प्रति भी प्रदर्श–डी–1 संलग्न है जिसके अनुसार रामचन्द्र की मृत्यु हो जाने पर वादग्रस्त आराजी श्यामसुन्दर, रामभरोस, शान्तिलाल पुत्र कान्तिबाई, राममूर्ति बाई, गीता बाई पुत्रियॉ रूकमणी बाई बेवा रामचन्द्र के नाम दर्ज हुई । पक्षकारान अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं जो कि ओल्ड हिन्दू विधि से शासित होते हैं न कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम से । ऐसी स्थिति में नामान्तरकरण संख्या 434 में रामचन्द्र की मृत्यु हो जाने पर जो विधवा एवं पुत्रियों का नाम संभाग से दर्ज किया गया है वह त्रुटिपूर्ण है । इस क्रम में विद्वान् अभिभाषक अपीलान्ट के द्वारा उद्धरत नजीर आरआरटी 2014 (2) पेज 901 यहॉ चस्पा होती है जिसमें माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि मीणा समुदाय में पुत्रियों को पिता की सम्पत्ति में अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं । आरआरडी 1989 पेज 284 में भी यही होल्ड किया गया है कि मीणा समुदाय कोटा स्टेट सरकूलर नं0 03 से शासित होते हैं जिसमें पुरूष उत्तराधिकारी होने पर विधवा को पति की सम्पत्ति में अधिकार प्राप्त नहीं होगे । माननीय राजस्व मण्डल ने आरबीजे (5) 1998 में भी यही सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि अनुसूचित जनजाति पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम लागू नहीं होता है । इस प्रकार यह विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि अनुसूचित जनजाति पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम लागू नहीं होता है वरन् वे ओल्ड हिन्दू लॉ/कोटा सरकूलर से शासित होते हैं और ओल्ड हिन्दू लॉ के अनुसार पुरूष उत्तराधिकारी होने की स्थिति में महिलाओं को पिता/पति की सम्पत्ति में अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं । तद्नुसार नामान्तरकरण संख्या 434 में रामचन्द्र की सम्पत्ति में उनकी मृत्यु के उपरान्त कान्तिबाई, राममूर्ति, गीताबाई पुत्रियॉ रूकमणी बेवा रामचन्द्र का नाम गलत रूप से दर्ज किया गया है। नामान्तरकरण इनके पक्ष में खुल जाने के आधार पर इनको वादग्रस्त आराजी में कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं । चूँकि रूकमणी को वादग्रस्त आराजी में कोई अधिकार प्राप्त नहीं है । ऐसी स्थिति में उनके द्वारा जो हक त्याग पत्र रामभरोस के पक्ष में किया गया है वो भी abinitio –Void है । तद्नुसार वादग्रस्त आराजी में श्यामसुन्दर, रामभरोस एवं शान्तिलाल प्रत्येक का 1/3 – 1/3 हिस्सा निहित है । अधीनस्थ न्यायालय ने इस तनकी को त्रुटिपूर्ण रूप से वादी के पक्ष में तय किया है । यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि जब कानून में स्पष्ट प्रावधान यह है कि अनुसूचित जनजाति पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम लागू नहीं होगा वरन् ओल्ड हिन्दू लॉ से शासित होंगे तो ऐसी स्थिति में उन्हें हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार अधिकार नहीं दिये जा सकते । विद्वान् अभिभाषक रेस्पोडेन्ट द्वारा उद्धरत नजीर एआईआर 1996 (एससी) पेज 1864 यहॉ चस्पा नहीं होता है क्योंकि वो बिहार राज्य से सम्बन्धित है और राजस्थान राज्य में मीणा समुदाय के बाबत् माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान का निर्णय आरआरटी 2014 (2) पेज 901 लागू होता है ।

2. **तनकी नं0 02 :– आया ग्राम सारोला तहसील दीगोद की आराजी खसरा नम्बर 256 रकबा 1.74 हैक्टर, खसरा नम्बर 583 रकबा 0.22 हैक्टर, खसरा नम्बर 584 रकबा 0.18 हैक्टर, खसरा नम्बर 713 रकबा 0.75 हैक्टर कुल किता 04 रकबा 2.89 हैक्टर भूमि का वादी व प्रतिवारदीगण 5/21 हिस्से को तथा प्रतिवादी कम 1 व 2 2/21 हिस्से को एवं प्रतिवादी कम 3 1/3 हिस्से तथा प्रतिवादी कम 04 लगायत 13 1/3 हिस्सा अलग खाता दर्ज कराने के अधिकारी हैं :–** इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर है । मुताबिक नकल जमाबन्दी प्रदर्श– 5 के अनुसार कुल 04 तिा की 2.89 हैक्टर आराजी रामचन्द्र, काूल एवं रामरतन के खाते में दर्ज है और उसमें नामान्तरकरण संख्या 435 का नोट अंकित है । नकल जमाबन्दी प्रदर्श–डी–3 के अनुसार भी यह आराजी रामचन्द्र, काूल एवं रामरतन के खाते में दर्ज है और इसमें नामान्तरकरण संख्या 435 का नोट अंकित है । नकल जमाबन्दी प्रदर्श– डी–4 के अनुसार यह आराजी श्यामसुन्दर, रामभरोस, शांति लाल पुत्र कान्तिबाई, राममूर्तिबाई, गीताबाई पुत्रियॉ रूकमणी बाई बेवा रामचन्द्र हिस्सा 1/3 कालू, रामरतन पिसरान गोपाल हिस्सा 2/3 दर्ज है और इसमें नामान्तरकरण संख्या 546 का नोट अंकित है । नकल जमाबन्दी प्रदर्श–3 में भी इसी अनुसार इन्द्राज हैं । इस प्रकार राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार वादग्रस्त आराजी में रामचन्द्र, काूल और रामरतन संभाग से सहखातेदार दर्ज हैं क्योंकि पक्षकारान ओल्ड हिन्दू लॉ से शासित होते हैं और तनकी नम्बर 01 में विस्तृत विवेचन किया गया है उसके अनुसार रामचन्द्र की मृत्यु हो जाने पर उनके 1/3 हिस्से में श्यामसुन्दर, रामभरोस और शान्तिलाल सहखातेदार दर्ज होने के अधिकारी हैं । कान्तिबाई, राममूर्तिबाई, गीताबाई पुत्रियॉ रूकमणी बाई बेवा रामचन्द्र का नाम गलत रूप से दर्ज किया गया है । तद्नुसार इस आराजी में रामचन्द्र के वारिस रामभरासे, श्यामसुन्दर और शांति लाल का सम्मिलित रूप से 1/3 हिस्सा कालू पुत्र गोपाल का 1/3 हिस्सा और रामरतन के पुरूष वारिसान का 1/3 हिस्सा निहित है और रामभरोस का 1/9 हिस्सा निहित है । अधीनस्थ न्यायालय ने इस तनकी को वादी के पक्ष में तय करने में विधिक त्रुटि की है ।

3. **तनकी नं0 03 :– आया प्रतिवादी कम 1 व 2 वादी कम 01 के साथ वादग्रस्त आराजी में से 1/3 हिस्से प्राप्त करने का अधिकारी है :–** इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी पर है जैसा कि तनकी नम्बर 1 व 2 में विवेचन किया जा चुका है । नकल जमाबन्दी प्रदर्श– डी– 2 में दर्ज आराजी के वादी रामभरोस 1/3, प्रतिवादी श्यामसुन्दर 1/3 और प्रतिवादी शान्ति लाल हिस्सा 1/3 प्राप्त करने का अधिकारी है और नकल जमाबन्दी प्रदर्श– डी–3 में दर्ज आराजी में वादी रामभरोस 1/9 प्रतिवादी श्यामसुन्दर का 1/9, प्रतिवादी शान्तिलाल हिस्सा 1/9, प्रतिवादी संख्या 03 कालू पुत्र गोपाल 1/3 और प्रतिवादी संख्या 5 पप्पू पुत्र रामरतन, अनिल पुत्र रामरतन, महावीर पुत्र रामरतन सम्मिलित रूप से 1/3 प्राप्त करने के अधिकारी हैं । चूँकि पक्षकारान मीणा अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित हैं जो ओल्ड हिन्दू विधि से शासित होते हैं, ऐसी स्थिति में पुत्र के रहते हुए विधवा एवं पुत्रियों को कोई अधिकार वादग्रस्त आराजी में निहित नहीं होगे । इस कारण धन्नी बाई बेवा रामरतन, सीमा, रेखा, लच्छू, शीला पुत्री धन्नी बाई बेवा रामरतन और संजू पुत्री रामरतन को वादग्रस्त आराजी में कोई हिस्सा प्राप्त नहीं होगा । इस प्रकार यह तनकी आंशिक रूप से प्रतिवादीगण के पक्ष में तय पायी जाती है । प्रतिवादीगण ने अपने काउन्टर क्लेम में यद्यपि दोनों खातों की आराजियात का विवरण दिया है इसमे अपने हिस्से की प्रार्थना की है परन्तु सहायता में उन्होंने 1/3 हिस्से की प्रार्थना की है जबकि प्रदर्श–डी–2 में वर्णित आराजी में वो 1/3 हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी हैं और प्रदर्श

– डी– 3 में रामचन्द्र का हिस्सा 1/3 है । तद्नुसार प्रतिवादीगण रामचन्द्र के 1/3 हिस्से में से प्रत्येक 1/3 अर्थात् 1/9 हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी हैं । तद्नुसार यह तनकी आंशिक रूप से प्रतिवादीगण के पक्ष में तय पायी जाती है ।

4. **तनकी नं0 04 :– आया वादी प्रतिवादी से खर्चा मुकदमा प्राप्त करने का अधिकारी है :–** इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर है और इस तनकी को अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से वादी के खिलाफ तय किया है ।

5. **तनकी नं0 5 :– अनुतोष :–** तनकी नम्बर 1, 2 व 4 वादी के खिलाफ तय नहीं पायी गई है । तनकी नम्बर 03 आंशिक रूप से प्रतिवादीगण के पक्ष में तय पायी जाती है । तद्नुसार दावा वादी खारिज होने योग्य है और प्रतिवादी का काउन्टर क्लेम आंशिक रूप से स्वीकार होने योग्य है । अधीनस्थ न्यायालय ने दावा वादी आंशिक रूप से स्वीकार कर प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम खारिज करने में त्रुटि की है ।

17. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.08.2017 निरस्त किया जाता है। दावा वादीगण खारिज किया जाता है । प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम आंशिक रूप से स्वीकार कर वादग्रस्त आराजी वाके ग्राम सारोला नया खसरा नम्बर 153 पुराना 145 खसरा नम्बर 181 रकबा 2.02 हैक्टर में वादी रामभरोस का हिस्सा 1/3, प्रतिवादी श्यामसुन्दर का 1/3 और प्रतिवादी कम 02 शान्ति लाल का 1/3 हिस्सा निर्धारित करते हुए विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री पारित की जाती है और ग्राम सारोला की नया खाता संख्या 154 पुराना खाता संख्या 146 की खसरा नम्बर 256 रकबा 1.74 हैक्टर, खसरा नम्बर 583 रकबा 0.22 हैक्टर, खसरा नम्बर 584 रकबा 0.18 हैक्टर और खसरा नम्बर 713 रकबा 0.75 हैक्टर कुल 04 किता की 2.89 हैक्टर में वादी रामभरोस का 1/9 हिस्सा प्रतिवादी कम 1 श्यामसुन्दर का 1/9 हिस्सा और प्रतिवादी संख्या 02 शान्तिलाल का 1/9 हिस्सा, प्रतिवादी कम 04 कालू पुत्र गोपाल 1/3 हिस्सा और प्रतिवादी कम 05 पप्पू पुत्र रामरतन का हिस्सा 1/9, अनिल पुत्र रामरतन हिस्सा 1/9, प्रतिवादी संख्या 12 महावीर हिस्सा 1/9 निर्धारित करते हुए प्रारम्भिक डिक्री पारित की जाती है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 की पालना में विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार से प्राप्त कर विभाजन प्रस्ताव पर उभयपक्षकारान को आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हुए विधि सम्मत रूप से विभाजन की अंतिम डिक्री पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 30.04.2021 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

18. निर्णय आज दिनांक 10.03.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

10/3/2021

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 2017/00453

1. श्याम सुन्दर आत्मज रामचन्द्र ।
2. शांतिलाल आत्मज रामचन्द्र जाति मीणा निवासीगण सारोला तहसील दीगोद जिला कोटा ।

——अपीलार्थी

बनाम

1. रामभरोस आत्मज रामचन्द्र ।
2. कांति बाई पुत्री रामचन्द्र ।
3. राममूर्ति पुत्री रामचन्द्र ।
4. सीता बाई पुत्री रामचन्द्र जाति मीणा निवसीगण सारोला तहसील दीगोद जिला कोटा।
5. कालू पुत्र गोपाल
6. धन्नी बाई बेवा रामरतन ।
7. पप्पू पुत्र रामरतन
8. अनिल पुत्र रामरतन
9. सीमा पुत्री रामरतन
10. रेखा पुत्री रामरतन
11. लच्छू पुत्री रामरतन
12. शीला पुत्री रामरतन निवासीगण रामचन्द्रपुरा चौथमाता मंदिर के पास छावनी कोटा ।
13. धन्नी बाई बेवा रामरतन (नाम तर्क) ।
14. महावीर पुत्र रामरतन
15. संजू पुत्री रामरतन निवासीगण बडगॉव कोटा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
16. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, दीगोद जिला कोटा ।

——प्रत्यर्थी

बनाराजगी आदेश निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.08.2017 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दीगोद जिला कोटा ।

1. रामभरोस आत्मज रामचन्द्र ।
2. कांति बाई पुत्री रामचन्द्र ।
3. राममूर्ति पुत्री रामचन्द्र ।
4. गीता बाई पुत्री रामचन्द्र
5. रूकमणी बाई बेवा रामचन्द्र जाति मीणा निवसीगण सारोला तहसील दीगोद जिला कोटा (नाम तर्क) ।

––वादी

बनाम

1. श्याम सुन्दर आत्मज रामचन्द्र ।
2. शांतिलाल आत्मज रामचन्द्र ।
3. कालू पुत्र गोपाल जाति मीणा निवासीगण सारोला तहसील दीगोद जिला कोटा ।
4. धन्नी बाई बेवा रामरतन ।
5. पप्पू पुत्र रामरतन
6. अनिल पुत्र रामरतन
7. सीमा पुत्री रामरतन
8. रेखा पुत्री रामरतन
9. लच्छू पुत्री रामरतन
10. शीला पुत्री रामरतन निवासीगण रामचन्द्रपुरा चौथमाता मंदिर के पास छावनी कोटा
11. धन्नी बाई बेवा रामरतन ।
12. महावीर पुत्र रामरतन
13. संजू पुत्री रामरतन निवासीगण बडगॉव कोटा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
14. राजस्थान सरकार जरिये तहसील दीगोद जिला कोटा ।

––प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दीगोद जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.08.2017 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात...** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे

2. यह अपील तारीख 10.03.2020 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से अभिभाषक श्री बलराम शर्मा एवं रेस्पोडेन्ट कम 1 लगायत 4 की ओर से अभिभाषक श्री महेश शर्मा के उपस्थित आने पर यह आदेश दिया कि अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.08.2017 निरस्त किया जाता है। दावा वादीगण खारिज किया जाता है । प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम आंशिक रूप से स्वीकार कर वादग्रस्त आराजी वाके ग्राम सारोला नया खसरा नम्बर 153 पुराना 145 खसरा नम्बर 181 रकबा 2.02 हैक्टर में वादी रामभरोस का हिस्सा 1/3, प्रतिवादी श्यामसुन्दर का 1/3 और प्रतिवादी कम 02 शान्ति लाल का 1/3 हिस्सा निर्धारित करते हुए विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री पारित की जाती है और ग्राम सारोला की नया खाता संख्या 154 पुराना खाता संख्या 146 की खसरा नम्बर 256 रकबा 1.74 हैक्टर, खसरा नम्बर 583 रकबा 0.22 हैक्टर, खसरा नम्बर 584 रकबा 0.18 हैक्टर और खसरा नम्बर 713 रकबा 0.75 हैक्टर कुल 04 किता की 2.89 हैक्टर में वादी रामभरोस का 1/9 हिस्सा प्रतिवादी कम 1 श्यामसुन्दर का 1/9 हिस्सा और प्रतिवादी संख्या 02 शान्तिलाल का 1/9 हिस्सा, प्रतिवादी कम 04 कालू पुत्र गोपाल 1/3 हिस्सा और प्रतिवादी कम 05 पप्पू पुत्र रामरतन का हिस्सा 1/9, अनिल पुत्र रामरतन हिस्सा 1/9, प्रतिवादी संख्या 12 महावीर हिस्सा 1/9 निर्धारित करते हुए प्रारम्भिक डिक्री पारित की जाती है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 की पालना में विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार से प्राप्त कर विभाजन प्रस्ताव पर उभयपक्षकारान को आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हुए विधि सम्मत रूप से विभाजन की अंतिम डिक्री पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 30.04.2021 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है ।

यह डिक्री आज तारीख 10.03.2021 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

10/3/2021

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा